भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **213**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 02 फरवरी, 2024/13 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है।

सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा दिया जाना

213. श्री विनोद कुमार सोनकर:
श्री राजा अमरेश्वर नाईक:
श्री भोला सिंह:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने के संबंध में कोई नीति बनाई है;
(ख) यदि हां, तो ऐसी नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त नीति उस उद्देश्य को प्राप्त करने में समर्थ रही है जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ड.) विगत तीन वर्षों के दौरान कस्बों और शहरों से वर्ष-वार कितना ठोस अपशिष्ट पदार्थ डी कम्पोज किया गया; और
(च) सरकार द्वारा देश में विनिर्माण कंपनियों से कम्पोस्ट अथवा जैविक उर्वरक खरीदने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(भगवंत खुबा)

(क) से (घ): सरकार ने सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी थी जिसका उर्वरक विभाग द्वारा 10 फरवरी, 2016 को गठन किया गया था जिसके तहत सिटी कम्पोस्ट के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए 1500/-रुपये प्रति मी टन.की दर से बाजार विकास सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। शुरू में, अच्छा विपणन नेटवर्क रखने वाली मौजूदा उर्वरक विपणन कंपनियों को शहरी कम्पोस्ट के विपणन की अनुमति दी गई थी। इसके बाद, बिक्री की मात्रा बढ़ाने और किसानों को सस्ती कीमतों पर खाद उपलब्ध कराने के लिए, खाद उत्पादन करने वाली कम्पोस्ट विनिर्माता कंपनियों को सीधे किसानों को सिटी कम्पोस्ट की थोक बिक्री की अनुमति दी गई।

सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की नीति के लक्ष्य और उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, शहरी अपशिष्ट से बने सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देना, उपयोगी उप-उत्पाद में परिवर्तित करके अपशिष्ट का प्रसंस्करण करना तथा सरकार के "स्वच्छ भारत अभियान" के उद्देश्यों को पूरा करना था। तथापि, सिटी कम्पोस्ट पर बाजार विकास सहायता (एमडीए) की स्कीम को नीति की समीक्षा के बाद तथा 2 अगस्त, 2021 की बैठक में व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की सिफारिशों के आधार पर 30 सितम्बर, 2021 से समाप्त कर दिया गया है।

सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की नीति के तहत 2016-17 से 2021-22 तक उर्वरक विपणन कंपनियों/कम्पोस्ट विनिर्माताओं द्वारा सिटी कम्पोस्ट की बिक्री और एमडीए के संवितरण का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	विपणन कंपनियों द्वारा बिक्री (मीट्रिक टन में)	विनिर्माण कंपनियों द्वारा थोक बिक्री (मीट्रिक टन में)	कुल बिक्री (मीट्रिक टन में)	जारी एमडीए (रुपये करोड़ में)
2016-17	96584.00	-	96584.00	0.55
2017-18	123569.87	75492.04	199061.91	7.26
2018-19	195551.48	111078.99	306630.47	10.00
2019-20	215725.88	111046.84	326772.72	33.85
2020-21	259195.96	96738.679	355934.64	68.74
2021-22	170636.18	85171.88	255808.06	42.00

(ङ.): विघटित किए जा रहे नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) की मात्रा संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) का मुख्य उद्देश्य सभी संभावित तरीकों जैसे कि कम्पोस्टिंग, भस्मीकरण, बायो-मीथेनेशन, पुनर्चक्रण आदि के माध्यम से एमएसडब्ल्यू के 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण का लक्ष्य प्राप्त करना है, और इसलिए प्रसंस्करण की विधि चाहे जो भी हो, कुल एमएसडब्ल्यू प्रसंस्करण संबंधी आंकड़े रखे जाते हैं।

(च): किसानों को सीधे बाजार विकास सहायता (एमडीए) प्रदान करने के लिए कोई योजना मौजूदा नहीं थी। उर्वरक विभाग द्वारा दिनांक 10.02.2016 को गठित सिटी कम्पोस्ट को बढ़ावा देने की नीति के अनुसार, उर्वरक विपणन कंपनियों को शहरी कम्पोस्ट के विपणन के लिए तथा कम्पोस्ट निर्माताओं को सीधे किसानों को थोक मात्रा में कम्पोस्ट बेचने के लिए 1500/-रु. प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता प्रदान की जाती थी।

*****